राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश –176110 के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2009 से 3/2010

भाग – एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/2010 तक सम्पन्न होने तक भी संस्था को विभाग से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, परिणामस्वरूप गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अंकेक्षण प्रतिवेदन कालावधि 4/05 से 3/09 अब इस विभाग के पृष्ठाकन सं0 फिन (एल ए) एच (2) सी (15) 11(6) 97/2001 –2869–70, दिनांक 14.7. 2010 द्वारा जारी कर दिया गया है। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के समस्त अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करें।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

(1) संस्था के निधि लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 तक का अंकेक्षण श्री विद्या सागर, लेखा परीक्षक के द्वारा दिनांक 6.7.2010 से 14.7.2010 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। अंकेक्षण हेतु अधिकतम आय व व्यय के आधार पर निम्नलिखित मासों का चयन किया गया :–

वर्ष	आय	व्यय
2009–10	12/09	12/09

(2) संस्था के वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहें :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अशिथ कुमार (Sh. Ashith kumar)	4/2009 से 3/2010

(3) प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एंव निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किए गए है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एंव सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नही है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जांच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

CB → FAR. NW

CB

127698

150430

3 अंकेक्षण शुल्क

संस्था के निधि लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 तक का अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹7000/– बनता था। प्राचार्य महोदय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13–7/10, दिनांक 13.7.2010 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009" को भेजने का अनुरोध किया गया था। तदानुसार प्राचार्य के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को कांगड़ा केन्द्रीय बैंक समीति के ड्राफ्ट संख्या 805881, दिनांक 14.7.2010 जो कि Axis Bank Ltd. की शिमला शाखा में देय था के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला – 171009 को प्रेषित कर दिया गया।

वर्ष	कुल आय	अंकेक्षण शुल्क
2009–10	₹ 641253	₹ 7000

4 वित्तीय स्थिति

(1) संस्था के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 तक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा, संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार से है :–

अवधि 2009–10

निधि का नाम	प्रारम्भिक शेष	आय/प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष	बैंक खातों में जमा राशि	हस्तगत राशि
समिश्रित निधि	1023496	641253	669753	994996	1018050	1020
विश्वविद्यालय निधि	95770	233252	216676	112346	112366	NIL
रोबर एण्ड रेजर निधि	272918 +360 273278	68531	1000	340809	340809	NIL
				867304		

(2) समिश्रित निधि की बैंक समाधान विवरणी

संस्था के समिश्रित निधि का उपरोक्त पैरा संख्या 4 (1) के अनुसार दिनांक 31.3.2010 को अन्तिम शेष ₹994996 था। अन्तिम शेष का विस्तृत विवरण एवं बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से थी :–

1	बैंक बचत खाते में जमा राशि	867620
2	सावधि जमा खातों में परिशिष्ट 'क' के अनुसार जमा राशि	150430
3	हस्तगतग राशि	1020
	कुल योग	**1019070**

(–) निम्न विवरणानुसार जो चैक जारी किये गए थे उन को दिनांक 31.3.2010 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था :–

चैक संख्या	दिनांक	राशि	
165664	24.12.09	936	
168385	20.2.10	100	
168389	24.2.10	100	
168397	5.3.10	200	
	कुल योग	**1336**	**(–) 1336**

(–) संस्था द्वारा दिनांक 10.5.2007 को सावधि जमा खातों में अर्जित ब्याज की राशि की प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई थी (–) 22738

अन्तिम शेष 994996

(3) संस्था के विश्वविद्यालय निधि के बैंक खाते में ₹20/– की राशि अधिक जमा थी जिस का स्त्रोत /औचित्य बताया जाए।

5 निवेश

(1) संस्था द्वारा ₹150430/– का निवेश सावधि जमा में किया गया था, जिसका विस्तृत विविरण परिशिष्ट क में दिया गया है। अतः परिपक्वता पर पुनः निवेश सुनिश्चित किया जाए

तथा बैंक बचत खातों में जमा अतिरिक्त राशि का निवेश भी सावधि जमा में किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(2) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा सावधि जमा में राशि का विवरण सम्बंधित कैश बुक में नहीं दिया गया था जो एक गम्भीर आपत्ति जनक मामला है, जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा सावधि में जमा निवेश विस्तृत विवरण सम्बंधित कैश बुक में मास व वर्ष के अन्त में देना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(3) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने दिनांक 10.5.2007 को सावधि जमा में निवेश राशि की परिपक्वता पर अर्जित ₹22738/– ब्याज की आय को सम्बंधित कैश बुक में नही दिखाया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को कैश बुक में अर्जित ब्याज से प्राप्त आय के रूप में दिखाया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज को कैश बुक में आय के रूप में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(4) संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में सावधि जमा निवेश का रजिस्टर नहीं लगाया गया था। अतः सावधि जमा निवेश का रजिस्टर, जिसमें सावधि जमा निवेश के बारे में समस्त जानकारी मिल सके, न लगाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा सावधि जमा निवेश का रजिस्टर नियमानुसार बनाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

6 समिश्रित निधि

(1) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने चैक संख्या 165413, दिनांक 8.12.2009 के द्वारा ₹1900/– का भुगतान मैसर्ज हिम ग्लोबल कम्पयूटर सुजानपुर को संस्था के कार्यालय के कम्पयूटर से सम्बंधित सामग्री खरीदने हेतु किया गया था। इस प्रकार का व्यय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आर्डिनैन्स के नियम 42.2 के अर्न्तगत कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस व्यय का औचित्य उपरोक्त नियम के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए या इस व्यय की राशि को उचित स्त्रोत से निकाल कर निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(2) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने दिनांक 8.11.2009 को श्री अनिल शर्मा, प्रवक्ता को ₹5000/– का भुगतान हाकी चैम्पियनशिप के आयोजन से सम्बंधित अग्रिम राशि के तौर पर किया गया था। श्री अनिल शर्मा द्वारा प्रस्तुत समायोजन बिलों में ₹9254/– का व्यय दिखाया गया था। परिणामस्वरूप उन्हें (9254–5000) ₹4254/– का भुगतान देय बनता था लेकिन जांच में पाया गया कि संस्था ने चैक संख्या 165405, दिनांक 3.12.09 द्वारा उन्हें ₹4254/–

की बजाय ₹4360/– का भुगतान किया गया था। इस प्रकार संस्था ने श्री अनिल शर्मा, प्रवक्ता को ₹106/– का अधिक भुगतान किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की राशि को सम्बंधित प्रवक्ता से वसूल कर के निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(3) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने मैसर्ज शर्मा लाइट एण्ड टैन्ट हाऊस सुजानपुर को चैक संख्या 165661, दिनांक 21.12.2009 के द्वारा ₹31494/– का भुगतान किया गया था। मगर शर्मा लाइट एण्ड टैन्ट हाऊस सुजानपुर ने केवल ₹31436/– के बिल प्रस्तुत किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹58/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि को सम्बधित फर्म या चूककर्ता से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(4) संस्था ने मैसर्ज अंकुर प्रिन्टर्ज, मेरठ को चैक संख्या 165409, दिनांक 8.12.09 के द्वारा ₹8933/– का भुगतान किया गया था, मगर अंकेक्षण में पाया गया कि मैसर्ज अंकुर प्रिन्टर्ज मेरठ ने केवल ₹8923/– का बिल प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार ₹10/– का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करें, अन्यथा इस राशि को चूककर्ता से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(5) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने निम्न विवरणानुसार किए गए क्रय सामग्री का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया तथा न ही इनके प्रयोग का कोई विवरण बनाया गया था। अतः इन मदों का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके इनके वितरण सम्बंधी अभिलेख सहित अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

चैक संख्या	दिनांक	राशि	विवरण
165664	24.12.09	936	234 फोटोज
165663	23.12.09	2250	2 Heat Pillar
165663	23.12.09	1250	1 Halogen Heater (1200W)
165663	23.12.09	2600	4 Halogen Heater (800W)
165662	21.2.09	8550	5000 Answer Books (12Pages)
		1120	2000 Answer B...

			Books (4Pages)
165409	8.12.09	8933	1600 Question Papers
165406	3.12.09	1155	2 Glass Set 1Cup Plate Set

7 ऋण

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹40000/– का ऋण समिश्रित निधि से NSS को दिया गया जो कि वर्तमान अंकेक्षण के सम्पन्न होने तक वापिस नहीं लिया गया था। अतः ₹40000/– का ऋण समिश्रित निधि से NSS को देने व वापिस न लेने का औचित्य सम्बंधित नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट करें तथा ऋण की राशि को शीघ्र वापिस लिया जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि
165416	21.12.09	12000
165417	21.12.09	28000
	कुल योग	40000

8 निधियों की अधिक दर से वसूली

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने वर्ष 2009–10 में निम्न विवरणानुसार ₹15408/– की राशि की अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों से अधिक दर से वसूली के कारण अधिक वसूली की गई जोकि आपत्तिजनक है, जिसका हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के पत्रांक EDN (8) 3 (7) –1/96, दिनांक 21.6.1999 तथा पत्र संख्या EDN (8) 3 (7) –1/76–6, दिनांक 19.6.200 और इससे सम्बंधित समय समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनाधिकृत रूप से निधियों की अधिक दर से वसूली हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निधि	नियमानुसार वार्षिक दर	वसूली गई वार्षिक दर	अन्तर	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक वसूली गई राशि
विद्यार्थी सहायता निधि	2	10	8	963	7704
पहचान पत्र निधि	5	10	5	963	4815
परिसर विकास निधि	10	13	3	963	2889
				कुल योग	15408

(185)

9 विविध

(1) संस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त की गई राशियों सें सम्बंधित Demand and collection रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जिस के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सके कि अध्ययनरत छात्रों से निधि एवम शुल्कों की सभी किश्त प्राप्त कर ली है अथवा नहीं। अतः अब वांछित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(2) संस्था ने निधियों से किये गये भुगतानों हेतु लगाई गई नस्तियों में बिलों की वाउचिंग नहीं की गई थी जोकि लेखांकन पद्धति के अनुसार नहीं है। अतः भविष्य में प्रत्येक भुगतान वाउचर का हवाला क्रमबार कैश बुक में दिया जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

(3) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जबकि यह प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए तथा भविष्य में यह प्रक्रिया हर वर्ष अपनाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 लघु आपत्ति विवरणिका

संस्था को लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

11 निष्कर्ष

संस्था के निधि लेखाओं के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
25 NOV 2010 हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) (2) सी (15) 11 (6) 97/2001, खण्ड – 1 दिनांक, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0, हि0प्र0 शिमला–171001

25 NOV 2010

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.